कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
१४/७१, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, कानपुर

दूरभाष न.:— 0512—2530832 फैक्स न0.:— 0512—2530834

पत्रांक: 91 /एन.ओ.सी./पी.ए.टी दिनांक: 4 .05.2010

अनापत्ति प्रमाणपत्र

एतद्व द्वारा मेसर्स डलफिन कोलोनाईजेर्स प्रा0 लि0, को उनके परिसर आराजी सं0 323, 327 पार्ट, सिंहपुर कछार, तहसील कानपुर सदर, कानपुर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है।

1. विद्युत आपूर्ति सहिंता के प्रस्तर 4.9 के तृतीय संशोधन के अनुपालन में ही उपभोक्ता/आवेदक/बिल्डर को समस्त निर्माण कार्य तथा विद्युत लाइनों/ परिवर्तकों का इन्फास्ट्रक्चर कराना होगा।
2. परिसर के निकट बिजली विभाग द्वारा लाइन न होने की स्थिति में समस्त लाइन डालने का व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा।
3. परिसर में यदि कोई खम्भा या लाइन पहले से मौजूद हो तो उस हटाने का समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा।
4. परिसर में यदि पहले से बकाया होगा तो बकाया राशि भुगतान किये जाने के उपरान्त ही विद्युत संयोजन दिया जायेगा।
5. सम्बन्धित उपकेन्द्र यदि अतिभारित होगा तो उपकेन्द्र की भार वृद्धि होने पर ही विद्युत संयोजन दिया जायेगा।

(एस.के.वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता (प्रा0)
सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1- कानपुर विकास प्राधिकरण, (भवन विभाग) मोती झील कानपुर।
2- अधिशाषी अभियन्ता (वि0) विकास नगर, कानपुर।
3- सम्बन्धित उपभोक्ता।

(एस.के.वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता (प्रा0)
सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक

D:/Kesco/KDA/09-10/NOC/Anjali

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर ।
पत्रांकःसीएफओ/अ0प्र0पत्र/भवन/2010(09) दिनांकःःजून 21 ,2010

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक (भवन)
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर।

विषयः— मेसर्स डालफिन कोलोनाइजर प्रा0लि0 भवन सं0ः 323 व 327 योजना नान स्कीम सिंहपुर कछार कानपुर नगर पर प्रस्तावित आवासीय बहुखण्डीय भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

सन्दर्भः— आपका पत्रांकः डी/1267/भवन/09—10 दिनांकः 28.04.10

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा मेसर्स डालफिन कोलोनाइजर प्रा0लि0 द्वारा ग्राम सिंहपुर कछार तहसील सदर कानपुर नगर पर प्रस्तावित आवासीय बहुखण्डीय भवन के निर्माण हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कर्नलगंज, कानपुर नगर द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया तो प्राप्त आख्या के अनुसार स्थल सुरक्षित पाया गया। उक्त भूखण्ड 30.49 मी0 चौडे सडक पर स्थित है जहॉ पर अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन करते हुये अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

प्रस्तावित भवन का अन्य विवरणः—

कुल प्लाट एरिया 6430 वर्गमी0, बेसमेन्ट एरिया 3181.49 वर्गमी0, भूतल से लेकर दसवॉ तल तक प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया 1491.89 वर्गमी0 है तथा ग्यारहवें तल का आच्छादित एरिया 1089.77 वर्गमी0 मानचित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल आच्छादित एरिया बेसमेन्ट तथा भूतल को छोडकर 16008.67 वर्गमी0 है तथा भवन की प्रस्तावित ऊँचाई भूतल से लेकर ग्यारहवें तल तक 36 मी0 है, सेट बैक चारों तरफ 12 मी0 दर्शाया गया है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः—

उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के नियम 4 तथा एन0बी0सी0 2005 व भवन निर्माण व विकास उपविधि 2008 में दिये गये निर्देशों का पालन करना भवन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।

1— पहुँच मार्गः— प्रस्तावित भूखण्ड 30.49 मी0 चौडे रोड पर स्थित है।
2— प्रत्येक ब्लाक के टेरेस पर एक—एक टेरेस टैंक क्षमता 10000 ली0 एवं अण्डरग्राउण्ड टैंक क्षमता 200000 ली0 की व्यवस्था की जाये।
3— प्रस्तावित भवन के तीनों ब्लाकों के बेसमेन्ट में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था की जाये।
4— प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर एक—एक होजरील सिस्टम व एक—एक लैण्डिंग वाल की व्यवस्था की जाये।
5— प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त आई0एस0 2190—1992 के अनुसार ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर की व्यवस्था की जाये।
6— प्रत्येक ब्लाक में कम्पार्टमेन्टलाइजेशन हेतु एकक—एक फायर चेक डोर रोस्टिंग क्षमता 90 मिनट के अनुसार की व्यवस्था की जाये।
7— प्रत्येक ब्लाक में मैनुअल काल प्वाइंट इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम की व्यवस्था की जाये।
8— प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था के अन्तर्गत पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था की जाये।

9– प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर निकास मार्ग के प्रदीप्त चिन्ह की व्यवस्था की जाये।

10– प्रस्तावित भवन में विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट की व्यवस्था की जाये।

11– प्रत्येक ब्लाक में फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट की व्यवस्था की जाये।

12– प्रत्येक ब्लाक में निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था की जाये।

13– प्रत्येक ब्लाक के सेट बैक अवरोध रहित होना चाहिये किसी भी प्रकार का निर्माण न कराया जाये।

14– प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर बेसमेन्ट तक 150 एम0एम0 डायमीटर के जी0आई0 पाइप मे वेटराइजर/डाउनकमर की व्यवस्था की जाये।

15– प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक लैण्डिंग वाल के पास एक–एक होज बाक्स व प्रत्येक होजबाक्स में 15–15 मी0 लम्बे दो–दो डिलेवरी होजपाइप व एक–एक साधारण ब्रांच पाइप की व्यवस्था की जाये।

16– अग्निशमन पद्धति के संचालन हेतु एक विद्युत चालित व एक डीजल चालित फायर पम्प क्षमता 1620 एल0पी0एम0 व एक जाकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 की व्यवस्था की जाये।

17– सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के दृष्टिगत एक फायर कन्ट्रोल पैनल की व्यवस्था भूतल तक की जाये।

18– भूमि/भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना व अनुमति प्राप्त करना सम्बन्धित का उत्तरदायित्व होगा।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं को भवन में सुनिश्चित कराने की शर्त पर प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो तीन वर्ष तक वैध माना जायेगा। भवन निर्माण के पश्चात् प्रयोग से पूर्व भवन का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि भवन निर्माण में एन0बी0सी0 2005 व भवन निर्माण व विकास उपविधि 2008 में वर्णित मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रेषित किया जा रहा प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः मानचित्र

(हस्ताक्षर) 21/6/10

(के0 पी0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपिः–

1– मेसर्स डालफिन कोलोनाइजर प्रा0लि0 7/71 ए तिलकनगर कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित करने हेतु।

2– अग्निशमन अधिकारी कर्नलगंज, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित कराने हेतु।

DHAM

दूरभाष / Phone : 2510999
फैक्स / Fax : 0512-2510999

...yavaran

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज़-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०८ ०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :
5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ 1744/NOC-55/10 दिनांक 05/07/10

सेवा में,

मैसर्स डाल्फिन कॉलोनाइजर्स प्रा0लि0
7/71 ए, तिलक नगर
कानपुर नगर।

विषयः <u>पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल भूखण्ड अराजी सं0 323 एवं 327 (पार्ट), सिंहपुर कछार, कल्यानपुर, कानपुर नगर पर प्रस्तावित आवासीय एवं व्यवसायिक बहुखण्डीय भवन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र का निर्गमन।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो इस कार्यालय में दिनॉक 14.06.10 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र पर इस कार्यालय द्वारा विचार किया गया। आवेदन पत्र के परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तावित स्थल पर परियोजना/अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैः–

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) प्रस्तावित आवासीय एवं व्यवसायिक बहुखण्डीय भवन का नाम एवं पता	**डाल्फिन ड्वेलिंग्स सिटी** अराजी सं0 323 एवं 327(पार्ट) सिंहपुर कछार कल्यानपुर, कानपुर नगर।
(ख) कुल घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	75 किली0/दिन
(ग) प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा	एच0एस0डीजल (डी0जी0सेट हेतु) आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/06 (यथा संशोधित) एवं उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 872/55–पर्या–2008–118(पर्या) 2008 दिनांक 21 अप्रैल 2008 के प्राविधानो, कानपुर महायोजना–2021 तथा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल विकास/भवन निर्माण हेतु निर्मित दिशा–निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाये।
3. बिल्ड अप एरिया का क्षेत्रफल कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुरूप होना चाहिए।
4. प्रस्तावित परियोजना में घरेलू उपयोग हेतु प्रस्तावानुसार 125 किली/दिन से अधिक जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5. घरेलू बहिस्राव जिसकी मात्रा 75 किली0/दिन से अधिक न होगी, को निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके यथासम्भव शुद्धिकृत जल का प्रयोग गार्डेनिंग इत्यादि में किया जाये।
6. उपरोक्त वर्णित मात्रा के अतिरिक्त प्रतिष्ठान में अन्य किसी प्रकार के ईंधन/खतरनाक रसायन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं किया जायेगा।
7. प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित डी0 जी0 सेट्स से सम्बद्ध चिमनीं की ऊँचाई नियमानुसार भवन छत से $0.2\sqrt{KVA}$ मी0 ऊपर रखी जाये तथा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित क्षमता के कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना किया जाये।
8. प्रस्तावित परियोजना के चारों तरफ पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल में हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।
9. प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये जिससे कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़े तथा कोई भी किया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।
10. भूगर्भ जल स्तर को गिरने से बचाने के लिए भूगर्भ जल निदेशालय उ0प्र0 द्वारा भवन छत के क्षेत्रफल के अनुसार जारी गाइड लाइन के अनुरूप प्रस्तुत प्रस्तावानुसार रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाये।

11. अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा परियोजना के संचालन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाये।
12. प्रस्तावित परियोजना में 6430 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कुल 135 फ्लैट्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
13. प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र के बाहय हिस्से में तथा संवेदनशील स्थानों पर सौर ऊर्जा चालित प्रकाश की व्यवस्था किया जाये, जिससे कि आपातकाल स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
14. प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस–पास एकास्टिक व्यवस्था इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिसर के अन्दर एवं बाहर ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप रहे।
15. प्रस्तावित परियोजना हेतु अग्निशमन तथा नागरिक सुरक्षा के समस्त मापदण्डों का अनुपालन किया जाये।
16. प्रस्तावित परियोजना से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था स्थापित कर इसका निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुरुप किया जाये एवं प्रस्तावानुसार बायोडिग्रेडिबिल घरेलू अपशिष्ट का उपयोग बायोकम्पोस्ट खाद के निर्माण में किया जाये।
17. प्रस्तावित परियोजना के अन्दर समुचित लाइटिंग एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे कि सामान्य यातायात प्रभावित न हो।
18. प्रस्तावित परियोजना/किया कलापो का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया में परिवर्तन करने से पूर्व बोर्ड से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
19. उपरोक्त शर्तें, अन्य विभागीय स्वीकृतियों एवं शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी।

यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनॉक 31.12.2013 तक विधिमान्य होगा। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 तद् दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. कार्यालय भवन विभाग, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

D. Dham